

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**संकल्प**

**विषय :-** डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई इत्यादि में राज्यांश मद में भुगतान की जाने वाली दर में संशोधन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक संशोधित दर 121.40 रुपये प्रति क्वींटल की दर से कुल 50022 लाख रुपये (पाँच अरब बाईस लाख) व्यय की स्वीकृति ।

राज्य में 01 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के कुल आच्छादित 8,57,12,067 लाभुकों को भारत सरकार द्वारा आवंटित 457821.725 मे0टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा आवंटित उक्त खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलेवरी योजना 2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो से राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक एवं राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक शतप्रतिशत जी0पी0एस0 एवं लोड सेल वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में भारत सरकार द्वारा "खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015" के आलोक में अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर केन्द्रांश प्राप्त होने एवं डीलर मार्जिन में की गई बढ़ोतरी के आलोक में पूर्व से चालू योजना को संशोधित करते हुए डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई इत्यादि हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को कुल 179.04 रू0 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाता है, जिसमें से केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश) एवं राज्यांश मद में निर्धारित दर क्रमशः 67.50 रुपये प्रति क्वींटल एवं 111.54 रुपये प्रति क्वींटल हैं ।

3. भारत सरकार द्वारा वस्तु सेवा कर (जी0एस0टी0) दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से लागू किये जाने के कारण एवं अन्य मदों के व्यय में वृद्धि के आलोक में खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के आलोक में आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई इत्यादि का संशोधित दर निर्धारण करने हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 के पत्रांक- 8504 दिनांक- 24.08.2017 के द्वारा अनुरोध किया गया है, जो कि निम्नवत् है ।

अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई इत्यादि में दर निर्धारण करने हेतु संशोधित प्रस्ताव			
क्र0	मद	पूर्व से स्वीकृत राशि	स्वीकृति हेतु संशोधित प्रस्ताव
1	परिवहन एवं हथालन (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से)	44.30	44.30
2	डीलर कमीशन	35.00	35.00
3	स्थापना	15.54	15.54
4	भण्डारण	4.29	11.85
5	आकस्मिकता	2.00	4.00
6	हथालन	0.00	10.71
7	वैट	10.41	0.00
<b>कुल योग :-</b>		<b>111.54</b>	<b>121.40</b>

4. खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम-2015 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दूकानों के डीलरों को संदत मार्जिन पर उनके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नवत् निर्धारित है:-

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग	व्यय के सन्नियम (दर रुपये प्रति क्वींटल)			केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)
	अन्तर-राज्यीय संचालन और उठाई-धराई	उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन		
		मूल	पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी	
सामान्य	65	70	17	50

राज्य में FPS Automation योजना के लागू होने के पश्चात् खाद्यान्न का वितरण पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से करने पर अतिरिक्त मार्जिन मनी 17/- रू0 प्रति क्वींटल का भुगतान किया जाएगा जिसमें केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होगी ।

उपरोक्त कंडिका में वर्णित खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम 2015 के तहत भारत सरकार के द्वारा तय किये गये दर एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा मांगी गयी दर के आलोक में उक्त दोनों योजनाओं को एकीकृत करते हुए भारतीय खाद्य निगम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत संशोधित दर निम्नवत् होगी :-

(दर- रू0 प्रति क्वींटल में)

क्र0	विवरणी	संशोधित व्यय की राशि	केन्द्रांश तथा राज्यांश मद की संशोधित राशि	
			केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश)	राज्यांश मद की संशोधित राशि
1	(क) परिवहन एवं हथालन * (भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदाम से)	87.51	32.50	55.01
2.	डीलर कमीशन	70.00	35.00	35.00
3.	स्थापना	15.54	शून्य	15.54
4.	भंडारण	11.85	शून्य	11.85
5.	आकस्मिकता	4.00	शून्य	4.00
कुल :-		188.90	67.50	121.40

डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 में निर्धारित दर के संशोधनोपरांत राज्यांश मद में 121.40 रूपया प्रति क्वींटल की दर से वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2017 तक कुल 9 माह हेतु भारत सरकार से प्राप्त मासिक आवंटन 4578217.25 क्वींटल खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलेवरी योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराने के विरुद्ध राज्यांश मद में  $4578217.25$  क्वींटल  $\times$   $121.40$   $\times$   $9 = 5002160167$  रूपये) अर्थात् 50022 लाख (पाँच अरब बाईस लाख) रूपये व्यय की संभावना है।


5. डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई-धराई इत्यादि में राज्यांश मद में भुगतान की जाने वाली दर में संशोधन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक संशोधित दर 121.40 रूपये प्रति क्वींटल की दर से कुल 50022 लाख रूपये (पाँच अरब बाईस लाख) व्यय की स्वीकृति प्राप्त है ।

6. डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन मद में भुगतान की जाने वाली राज्यांश मद की राशि का व्यय क्रमशः मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-18-3456001020306 विषय शीर्ष 0306.33.01 सब्सिडी, मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-18-3456007890302, विषय शीर्ष 0302.33.01 सब्सिडी एवं मुख्य शीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0302-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड सं0-18-3456007960302 विषय शीर्ष 0302.33.01 सब्सिडी में बजट उपबंध की राशि से किया जाएगा।

डोर स्टेप डिलेवरी योजना, 2016 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश) मद में निर्धारित दर के अनुसार किये जाने वाले भुगतान का व्यय मुख्यशीर्ष-2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्यशीर्ष--01-खाद्य, लघुशीर्ष-101-प्रापण तथा पूर्ति, समूह शीर्ष-केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0405-एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से किया जाएगा।


7. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.12.2017 को मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017/45 टि0।

8. संकल्प पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

  
(पंकज कुमार)


सरकार के सचिव।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।


  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि - ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें ।

  
सरकार के सचिव ।


ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि - बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।


ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि - अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र06-डो0स्टे0डि0-01/2017 07 खाद्य-पटना/दिनांक- 02.1.18  
प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के सचिव ।